तटस्थ उद्धरण
2023:सीजीएचसी:20324–डीबी

A.F.R.

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>डब्ल्यूपीएस संख्या 5515/2023</u>

तिलेश कुमार साहू पुत्र बंशीधर साहू,आयु लगभग 23 वर्ष,निवासी – ग्राम गिधौरी जिला बलौदाबाजार भाटपारा (छ.ग)

---याचिकाकर्ता

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, सचिव के माध्यम से, स्कूली शिक्षा विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय अटल नगर, नई रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग)

2. छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण निदेशालय के निदेशक इंद्रावती भवन, नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

--उत्तरदातागण

(वाद शीर्षक मामला सूचना प्रणाली से लिया गया)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता हेतु : श्री अजय श्रीवास्तव, अधिवक्ता।

उत्तरदातागण/राज्य हेतु :श्री एच एस अहलूवालिया, उप महाधिवक्ता

<u>डब्ल्यू. पी. एस. सं. 3179/2023</u>

1. गायत्री वर्मा पत्नी/पुत्र अशोक वर्मा, लगभग 25 वर्ष, निवासी: रामनगर, कवर्धा वर्तमान निवासी: न्युरो गाँव गुड़गांव, तहसील कवर्धा, जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़

2. यशवंत कुमार टंडन पुत्र शिव प्रसाद टंडन लगभग 30 वर्ष, निवासी: दलभौहा, तहसील पंडरिया, जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़

3. भूपेन्द्र कुमार पटेल पुत्र भरतलाल पटेल उम्र लगभग 33 वर्ष निवासी ग्राम बलौदा, पुरानी बस्ती, वार्ड क्रमांक 3, पो. हसुआ, तहसील कसडोल, जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़।

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के माध्यम से, विद्यालय शिक्षा विभाग महानदी भवन, मंत्रालय अटल नगर, नई रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़।

2. संचालक, संचालनालय छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण इंद्रावती भवन ,नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़।

---उत्तरवादीगण

(वाद शीर्षक मामला सूचना प्रणाली से लिया गया)

याचिकाकर्ता हेतु:श्री अजय श्रीवास्तव, अधिवक्ता।

उत्तरवादी/राज्य हेतु :श्री एच.एस.अहलूवालिया , उप महाधिवक्ता
मध्यस्थ हेतु :श्री पी. आचार्य, अधिवक्ता।

डब्ल्यूपीएस सं. 3518/2023

1. भारत खांडे पुत्र उमेंद खांडे लगभग 35 वर्ष, निवासी नवपारा (भोंडू), पी. ओ. बैगाकपा, तहसील लोरमी, जिला–मुंगेली छत्तीसगढ़

2. संगीता डडसेना पुत्री घनश्याम डडसेना, 33 वर्ष,निवासी गाँव पाथरताल, पी. ओ. बैगाकपा, तहसील लालपुर, जिला मुंगेली छत्तीसगढ़

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के माध्यम से, स्कूली शिक्षा विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय अटल नगर, नई रायपुर, जिला–रायपुर छत्तीसगढ़

2. निदेशक, छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण निदेशालय इंद्रावती भवन, नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

---उत्तरवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(वाद शीर्षक मामला सूचना प्रणाली से लिया गया)

याचिकाकर्ता हेतु :श्री चंद्र प्रकाश लाहरे, अधिवक्ता।

उत्तरवादी/राज्य हेतु :श्री एच एस अहलूवालिया, उपमहाधिवक्ता

डब्ल्यूपीएस सं. 5070/2023

1. गिरिराज पटेल पुत्रकृष्ण कुमार, आयु लगभग 26 वर्ष,निवासी गाँव तथा धीमानी के बाद, तहसील खरसिया, जिला–रायगढ़, छत्तीसगढ़।

2. प्रीति कौशिक, पुत्रगंगाराम, 30 वर्ष।निवासी गाँव नयापाड़ा बोदारी वार्ड सं. 04, पोस्ट चकरभाटा तहसील–बोदारी, जिला–बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

3. रूपेंद्र जयस्वाल पुत्र रामदयाळ जयस्वाल , 35 वर्ष , निवासी जोंगरा तहसील–शक्ति, जिला–शक्ति छत्तीसगढ़

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य ,सचिव के माध्यम से , स्कूली शिक्षा विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर, जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़ ।

2. स्कूल शिक्षा निदेशक, निदेशालय रायपुर जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़।

3. छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड, अपने नियंत्रक के माध्यम से, व्यापमं भवन, सेक्टर–19, नॉर्थ ब्लॉक, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़।

–––उत्तरवादीगण

(वाद शीर्षक मामला सूचना प्रणाली से लिया गया)

याचिकाकर्ता हेतु:श्री रविक्कर पटेल, अधिवक्ता।

उत्तरवादी संख्या 1 तथा 2/राज्य हेतु :श्री एच एस अहलूवालिया, उपमहाधिवक्ता

डब्ल्यूपीएस सं. 5162/2023

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. दिलेश कुमार गिलहरे पुत्र दयराम गिलहरे, 33 वर्ष,निवासी वार्ड संख्या 04, कुर्रेपारा, छचनपुरी, जिलाःरायपुर, छत्तीसगढ़

2. पोखराज दहारिया पुत्र श्री भतर राम दहारिया,33 वर्ष , निवासी घर सं 12, वार्ड स़.04, टेका, देवड़ी, राजिम, जिलाःगरियाबंध, छत्तीसगढ़

3. रानी श्री पोखराज दहारिया, 30 वर्ष, निवासी वार्ड सं.04, सतनामीपारा, टेका, जिलाःगरियाबंध, छत्तीसगढ़

4. संतोष कुमार कश्यप पुत्र श्री भोला राम कश्यप,34 वर्ष निवासी वार्ड सं 01, कुरियारी, गोधना जिला जांजगीर चंपा नया जिला शक्ति छत्तीसगढ़

5. कमल दास पुत्र श्री कला दास 25 वर्ष निवासी वार्ड सं.08, हेडस्पाली, जिलाःमहासमुंद, छत्तीसगढ़

6. वैजयंती कुमारी पुत्र श्री गोपाल राम, 24 वर्ष निवासी वार्ड सं.02, दरगाहान, जिलाःधमतरी, छत्तीसगढ़

7. भूपेंद्र कुमार पटेल पुत्र डोलामणि पटेल,28 वर्ष, निवासी घर सं.68, नवागढ़, सरायपाली, जिलाःमहासमुंद, छत्तीसगढ़

8.बोधन राम पुत्र नंदलाल देवांगन,38 वर्ष निवासी वार्ड सं.10,लालपुर, खैरागढ़, जिलाःराजनंदगांव, छत्तीसगढ़

9. सुनील कुमार पाल पुत्र श्री अंजोरी पाल, लगभग 33 वर्ष , निवासी 46 दिलवा पारा, लालपुर, दधी, बेमेतरा, जिलाःबेमेतरा, छत्तीसगढ़

10. वेदप्रकाश पुत्र श्री रामजी कुर्मी, लगभग 37 वर्ष , निवासी 14, चर्चरंगपुर, कबीरधाम, जिलाःकवर्धा (कबीरधाम), छत्तीसगढ़

––––याचिकाकर्तागण

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के माध्यम से, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

2. लोक शिक्षण निदेशालय, रायपुर, जिलाःरायपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरदातागण

(वाद शीर्षक मामला सूचना प्रणाली से लिया गया)

याचिकाकर्ता हेतु : सुश्री नौशिना आफरीन अली, अधिवक्ता।

उत्तरवादी/राज्य हेतु :श्री एच एस अहलूवालिया, उप महाधिवक्ता

डब्ल्यूपीएस सं. 5320/2023

1. अजय प्रसाद पटेल पुत्र डी. पी. पटेल की आयु लगभग 38 वर्ष , निवासी ग्राम सुरता, तहसील रामानुजनगर, जिलाःसूरजपुर, छत्तीसगढ़

2. सूर्य प्रकाश पडवार पुत्र कमलेश्वर प्रसाद ,आयु लगभग 26 वर्ष, ग्राम साल्का, तहसील लखनपुर, जिलाःसरगुजा (अंबिकापुर), छत्तीसगढ़

3. विवेक गुप्ता पुत्र अंबिका प्रसाद, आयु लगभग 23 वर्ष ,निवासी ग्राम जमीरापथ, तहसील जमीरापथ, जिलाःबलरामपुर, छत्तीसगढ़

----याचिकाकर्तागण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के माध्यम से,स्कूल शिक्षा विभाग, अटल नगर, रायपुर, जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़

2. छत्तीसगढ़ राज्य सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव के माध्यम से, अटल नगर, रायपुर, जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़

3. संयुक्त निदेशक लोक शिक्षा निदेशालय, रायपुर, जिलाःरायपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

(वाद शीर्षक मामला सूचना प्रणाली से लिया गया)

याचिकाकर्ता हेतु :श्री ज्ञान प्रकाश शुक्ला, अधिवक्ता।

उत्तरावादी /राज्य हेतु :श्री एच एस अहलूवालिया, उप महाधिवक्ता

माननीय श्री रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश
माननीय श्री एन.के.चन्द्रवंशी, न्यायाधीश

बोर्ड पर आदेश

रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश के अनुसार,
08/08/2023

1. चूंकि उपरोक्त सभी रिट याचिकाओं में शामिल मुद्दे समान हैं, इसलिए उनकी सुनवाई एक साथ की जा रही है।पक्षों के विद्वान अधिवक्ता की सहमति से मामले की सुनवाई अंततः की जा रही है।

2. याचिकाकर्ता ने डब्ल्यू. पी. एस. सं. 5515/2023 में निम्नलिखित अनुतोष हेतु प्रार्थना की गई है:

(i) यह कि, यह माननीय न्यायालय न्याय के हित में अधिसूचना अनुलग्नक पी–1 दिनांक 11/7/23 को अमान्य घोषित करने की कृपा करे ।

(ii) यह कि, यह माननीय न्यायालय न्याय के हित में, शिक्षक की नियुक्ति हेतु विषयवार व्यवस्था के पहले के प्रावधान को बहाल करने हेतु उत्तरवादी अधिकारियों को निर्देश देने की कृपा करे ।

(iii) कि शिक्षकों के संबंध में 4/5/23 दिनांकित विज्ञापन को भी रद्द किया जा सकता है।

(iv) कोई अन्य अनुतोष जो मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों में उपयुक्त हो, भी दी जा सकती है।"

3. याचिकाकर्ताओं ने डब्ल्यू. पी. एस. सं. 3179/2023 में निम्नलिखित अनुतोष हेतु प्रार्थना की है:

(i) यह कि, माननीय न्यायालय अनुसूची–II के कॉलम सं 8 क्रम संख्या 36 और अनुबंध के क्रम संख्या ii से विषयवार मानदंड हटाने वाले शिक्षकों के संबंध में अधिसूचना अनुबंध पी–1 को न्याय हित में छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शिक्षा एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती एवं पदोन्नति नियम, 2019 के (विशेष विषय में स्नातक के स्थान पर केवल स्नातक उल्लेख करने के संबंध में) को अधिकारहीन घोषित करने की कृपा करे।

(ii) यह कि, माननीय न्यायालय न्याय के हित में शिक्षक की नियुक्ति हेतु विषयवार स्नातक के पूर्व प्रावधान को बहाल करने हेतु प्रतिवादी अधिकारियों को निर्देश दे सकता है।

(iii) यह कि, शिक्षकों के संबंध में विज्ञापन अनुलग्नक पी/7 को भी रद्द किया जा सकता है।"

4. याचिकाकर्ताओं ने डब्ल्यू. पी. एस. सं. 3518/2023 में निम्नलिखित अनुतोष हेतु प्रार्थना की है:

"(i) यह कि, माननीय न्यायालय अनुसूची–II के कॉलम सं 8 क्रम संख्या 36 और अनुबंध–I के क्रम संख्या ii से विषयवार मानदंड हटाने वाले शिक्षकों के संबंध में अधिसूचना अनुबंध पी–1 छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा प्रशासनिक सेवा (शिक्षा एवं भर्ती संवर्ग) पदोन्नति नियम 2019 में विशेष विषय में स्नातक के स्थान पर केवल स्नातक उल्लेख करने के संबंध में न्याय हित में को अधिकारहीन घोषित करने की कृपा करे।

(ii) यह माननीय न्यायालय न्याय के हित में शिक्षक की नियुक्ति हेतु विषयवार स्नातक के पूर्व प्रावधान को बहाल करने हेतु प्रतिवादी अधिकारियों को निर्देश देने की कृपा करे।

(iii) कि शिक्षकों के संबंध में विज्ञापन अनुलग्नक पी/7 को भी रद्द करने की कृपा करे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(iv) कोई अन्य अनुतोष जो मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों में उपयुक्त हो, भी देने की कृपा करे।"

5. याचिकाकर्ताओं ने डब्ल्यू. पी. एस. सं.5070/2023 में निम्नलिखित अनुतोष हेतु प्रार्थना की है:

" 10.1 यह कि, माननीय न्यायालय कृपया यह रिकॉर्ड मंगाने की कृपा करें कि उन्हें बिना विषयवार शिक्षक पद कैसे जारी किया जाता है।

10.2.माननीय न्यायालय दिनांक 11/07/2023 की राजपत्र अधिसूचना को रद्द/ अपास्त करने की कृपा करें और शिक्षकों के पद की भर्ती के लिए राज्य को निर्देश भी विषयानुसार देने की कृपा करे।

10.3. कोई अन्य अनुतोष जो न्याय के हित में उपयुक्त हो, जिसे माननीय न्यायालय उचित समझे भी देने की कृपा करे।"

6. याचिकाकर्ताओं ने डब्ल्यू. पी. एस. सं.5162/2023 में निम्नलिखित अनुतोष हेतु प्रार्थना की है:

" 10.1 यह कि, माननीय न्यायालय कृपया याचिकाकर्ता के मामले से संबंधित संपूर्ण रिकॉर्ड मंगाने की कृपा करें।10.2 10.2 माननीय न्यायालय उचित रिट/आदेश/निर्देश जारी करने और राजपत्र अधिसूचना दिनांक 04.05.2023 (अनुलग्नक पी/1) और अधिसूचना दिनांक 11.07.2023 (अनुलग्नक पी/2) को रद्द करने की कृपा करें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10.3 कि, माननीय न्यायालय कृपया एक उपयुक्त रिट/आदेश/निर्देश जारी कर सकता है तथा प्रत्यर्थी अधिकारियों को वर्ष 2010 में एन. सी. टी. ई. द्वारा बनाए गए निर्देश तथा नियमों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विषयवार शैक्षिक योग्यता स्पष्ट रूप से निर्धारित करने का निर्देश दे सकता है।

10.4 कोई अन्य राहत/राहत जो माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों में उचित तथा उचित समझे,प्रदान करने कि कृपा करें।

7. याचिकाकर्ताओं ने डब्ल्यू. पी. एस. सं.5320/2023 में निम्नलिखित अनुतोष हेतु प्रार्थना की है:

"10.1.कि, माननीय न्यायालय कृपया 11.07.2023 दिनांकित संशोधन तथा 04.05.2023 दिनांकित विज्ञापन को रद्द करने कि प्रदान करने कि कृपा करें।।

10.2.वह, कोई अन्य अनुतोष , जिसे यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों में न्यायसंगत तथा उपयुक्त समझे,प्रदान करने कि कृपा करें।

8. 8. डब्ल्यू. पी. एस. सं. 5515/2023 में मामले के तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता डी. एड तथा टी. ई. टी. योग्यता के साथ अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर है।अपर डिवीजन टीचर (संक्षेप में, यू.

डी. टी.) की नियुक्ति हेतु सेवा की शर्त छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शिक्षा तथा प्रशासनिक संवर्ग) पदोन्नति नियम 2019 (संक्षेप में, 2019 के नियम) द्वारा शासित होती है तथा अनुसूची–II के अनुसार, यू. डी. टी. के पद को विषयवार भरा जाना था तथा डी. एड. या बी. एड. के साथ आगे स्नातक आवश्यक योग्यता थी तथा स्नातक का विषय अनुलग्नक–I में दिया गया था। दिनांक 04.05.2023 के विज्ञापन में, रिक्तियों को विषय–वार अधिसूचित करने के बजाय, सामान्य रिक्तियों को दिखाया गया है, जबकि नियमों के अनुसार, शिक्षक के पद को विषय–वार भरा जाना है।उक्त मामला डब्ल्यूपीएस 3877/2023 (वेद प्रकाश एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य) में विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष आया, जिसमें विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 26.06.2023 के आदेश द्वारा इस आशय का एक अंतरिम आदेश पारित किया कि विशुद्ध रूप से अंतरिम उपाय के रूप में, उत्तरदाता सुनवाई की अगली तारीख तक भर्ती प्रक्रिया को अंतिम रूप नहीं देंगे।जब राज्य को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो अंतरिम आदेश दिनांक 26.06.2023 को दूर करने के लिए, उसने 11.07.2023 को कैबिनेट बैठक बुलाकर (विधानसभा में पारित किए बिना) 2019 के नियमों में संशोधन किया और अनुसूची II से विषयवार प्रावधान को हटा दिया। उपरोक्त संशोधन बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (संक्षेप में, 2009 का अधिनियम) के प्रावधान के विपरीत है, जहां यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि भौतिकी, गणित और अन्य विषयों के अलग–अलग शिक्षक होंगे।उक्त संशोधन समानता के अधिकार का उल्लंघन करेगा और असमानों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा और आगे ऐसे संशोधन करने का कोई उद्देश्य नहीं है जो शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. याचिकाकर्ता विद्वान अधिवक्ता श्री श्रीवास्तव व्यक्त करते है कि कि संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत नियम केवल विधानसभा द्वारा बनाए/संशोधित किए जा सकते हैं, लेकिन वर्तमान मामले में, मंत्रिमंडल ने इस तरह के संशोधन हेतु निर्देश दिया है।इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने केवल बस्तर तथा सरगुजा हेतु संशोधन का निर्देश दिया है, लेकिन 2019 के पूरे नियमों में संशोधन किया गया है।राज्य ने बाद के संशोधन के आधार पर रोक हटाने तथा जवाब देने हेतु एक आवेदन दायर किया है।विद्वान एकल न्यायाधीश ने डब्ल्यू. पी. एस. सं. 3350/2023 के साथ–साथ अन्य संबंधित मामलों की सुनवाई करते हुए, दिनांक 13.07.2023 के आदेश के माध्यम से, पहले के अंतरिम आदेश को इस हद तक संशोधित किया कि प्रतिवादियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था कि जिस श्रेणी से प्रत्येक याचिकाकर्ता संबंधित है, उसके लिए 06 पदों को खाली रखा जाएगा तथा आगे यह कि कोई भी भर्ती, यदि बीच में अंतिम रूप दिया जाता है, तो वह भी वर्तमान रिट याचिकाओं के परिणाम के अधीन होगी।

10. श्री श्रीवास्तव प्रस्तुत करते हैं कि प्रत्यर्थी/राज्य की कार्रवाई असंवैधानिक, भेदभावपूर्ण तथा विधि की नजर में मान्य नहीं है।उपरोक्त संशोधन समानता के अधिकार का उल्लंघन करेगा तथा असमान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा तथा आगे इस तरह का संशोधन करने का कोई उद्देश्य नहीं है तथा आगे यह शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

11. 11. डब्ल्यू. पी. एस. सं. 3179/2023 तथा डब्ल्यू. पी. एस. सं. 3518/2023 में याचिकाकर्ताओं द्वारा संक्षेप में बताए गए तथ्य यह हैं कि यू. डी. टी. की नियुक्ति हेतु सेवा शर्त

2019 के नियमों द्वारा शासित है तथा अनुसूची–2 के अनुसार, यू. डी. टी. के पद को विषयवार भरा जाना था तथा डी. एड. या बी. एड. के साथ आगे स्नातक योग्यता आवश्यक थी तथा स्नातक का विषय अनुलग्नक–1 में दिया गया था। [illegible] ([illegible]) [illegible] ([illegible]) [illegible] 2012 ([illegible] 2012 [illegible]) [illegible] ([illegible]) [illegible] ([illegible]) [illegible] 2013 ([illegible], [illegible] 2013) [illegible] ([illegible]) [illegible] शिक्षा विभाग में भी शिक्षक की नियुक्ति छत्तीसगढ़ गैर राजपत्रित तृतीय श्रेणी शिक्षा सेवा (विद्यालय स्तर सेवा) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2008 के अनुसार थी। अधिसूचना दिनांक 04.05.2023 द्वारा राज्य सरकार ने 2019 के नियमों में संशोधन किया है और अनुसूची– II कॉलम –8 से "सीधी भर्ती विषय–वार होगी" को हटा दिया है और आगे अनुबंध– I के क्रम संख्या 1 और 2 से संशोधन किया गया है (जैसा कि याचिका के पैराग्राफ 8.5 में बताया गया है) तथा संशोधित अधिसूचना के कारण जिसके द्वारा विषय की सीमा को हटा दिया गया है तथा किसी भी विषय के उम्मीदवार को किसी भी विषय के उच्च श्रेणी के शिक्षक के पद के लिये नियुक्त किया जा सकता है, तथा एक कला स्नातक उम्मीदवार गणित तथा विज्ञान शिक्षक के लिये आवेदन कर सकता है तथा एक गणित स्नातक संस्कृत शिक्षक के लिये आवेदन कर सकता है, संस्कृत स्नातक गणित, विज्ञान शिक्षक हेतु आवेदन कर सकता है। ऐसी स्थिति में शिक्षा की गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित होगी तथा प्रभावी तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना संभव नहीं होगा। याचिकाकर्ता अंग्रेजी साहित्य में स्नातक हैं, लेकिन उपरोक्त संशोधन के कारण, उन्हें स्नातक के अपने विषय में चयनित होने का उचित मौका नहीं मिलेगा और उन्हें किसी अन्य विषय में चुना जा सकता है तथा ऐसे मामले में, स्नातक विषय पढ़ाने की उनकी दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। नियमों में संशोधन करने के उद्देश्य के साथ कुछ संबंध होना चाहिए, लेकिन यहां नियमों में संशोधन करने के उद्देश्य के साथ कोई संबंध नहीं दिखता है तथा बिना किसी आधार के ऐसा संशोधन लाया गया है तथा यह स्पष्ट नहीं है कि ऐसा संशोधन लाने का उद्देश्य क्या है।

12. डब्ल्यू. पी. एस. सं. 5070/2023 तथा डब्ल्यू. पी. एस. सं. 5320/2023 में भी, जैसा कि ऊपर कहा गया है, राजपत्र अधिसूचना दिनांक 11.07.2023 को चुनौती दी जाती है।इसके अतिरिक्त, डब्ल्यू. पी. एस. सं. 5320/2023 में, 04.05.2023 दिनांकित विज्ञापन को भी चुनौती दी गई है।

13. डब्ल्यू. पी. एस. सं. 5162/2023 में, दिनांकित 04.05.2023 तथा 11.07.2023 अधिसूचनाओं को चुनौती दी जाती है।याचिकाकर्ताओं ने यहां प्रार्थना की है कि वर्ष 2010 में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (संक्षेप में, एन. सी. टी. ई.) द्वारा बनाए गए निर्देश तथा नियमों को

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

ध्यान में रखते हुए शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विषयवार शिक्षा योग्यता को स्पष्ट रूप से निर्धारित करने हेतु प्रतिवादी अधिकारियों को उचित निर्देश जारी किए जा सकते हैं।

14. याचिकाकर्ताओं हेतु विद्वान अधिवक्ता सुश्री नौशिना आफरीन अली (डब्ल्यूपीएस सं. 5162/2023 में), श्री अजय श्रीवास्तव (डब्ल्यूपीएस सं. 5515/2023 तथा 3179/2023 में), श्री C.P.Lahrey, [डब्ल्यूपीएस सं. 3518/2023 में] श्री रविक्कर पटेल (डब्ल्यूपीएस सं. 5070/2023 में) तथा श्री ज्ञान प्रकाश शुक्ला (डब्ल्यूपीएस सं. 5320/2023 में), संबंधित याचिकाकर्ताओं हेतु विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि निदेशक, 11 का निदेशालय सार्वजनिक निर्देश, छत्तीसगढ़ ने छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (सी. जी. वी. वाई. ए. पी. ए. एम.) द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा के माध्यम से शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए दिनांक 04.05.2023 पर एक विज्ञापन जारी किया।याचिकाकर्ताओं ने शिक्षक के पद हेतु आवेदन किया क्योंकि उनके पास 2019 के नियमों के तहत आवश्यक सुसंगत योग्यता थी।याचिकाकर्ता अंग्रेजी में स्नातक हैं तथा इसलिए उन्होंने उक्त पद हेतु आवेदन किया है।सरगुजा तथा बस्तर संभाग में शिक्षक (ई संवर्ग) के 1113 पद तथा सरगुजा तथा बस्तर संभाग में शिक्षक (टी संवर्ग) के 4659 पद भरे जाने थे।आवेदन भरने पश्चात् योग्य उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र जारी किए गए तथा छ ग व्यापम द्वारा 10.06.2023 पर एक लिखित परीक्षा आयोजित की गई।इसके बाद, परिणाम प्रकाशित किया गया जिसमें याचिकाकर्ता सफल उम्मीदवारों की सूची में थे।प्रत्यर्थी अधिकारियों ने 2019 के नियम 05.03.2019 पर बनाए हैं तथा शिक्षक की नियुक्ति हेतु बी. एड तथा डी. एड के साथ न्यूनतम शिक्षा योग्यता अर्थात स्नातक निर्धारित की है तथा अनुसूची–II, क्रम संख्या 33 के अनुसार, शिक्षक के पद को विषयवार भरा जाना था।राज्य सरकार ने दिनांक 04.05.2023 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से, जिसके तहत भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने 2019 के नियमों में संशोधन किया है, जिसके तहत अनुसूची–2 के क्रम संख्या 36 के कॉलम (8) में, "प्रत्यक्ष भर्ती विषयवार होगी" शब्द को हटा दिया गया था।इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने राजपत्र अधिसूचना दिनांक 11.07.2023 को चुनौती दी है, जिसके तहत राज्य सरकार ने 2019 के नियमों में संशोधन किया है, जिसके तहत अनुसूची–2 के क्रम संख्या 33 के कॉलम (8) में "यह पदोन्नति/सीधी भर्ती व्यवस्था में अनुमोदित विषयवार पदों पर होगी" शब्द तथा प्रतीक को हटा दिया गया था।नियम बनाते समय, प्रतिवादी प्राधिकारी ने शब्दों को हटा दिया है अर्थात "सीधी भर्ती विषय–वार होगी" और शब्द "यह पदोन्नति/सीधी भर्ती सेटअप में अनुमोदित विषय–वार पदों पर होगी" ,जो कि नियमों के बहुत विपरीत है। एनसीटीई द्वारा तैयार किया गया, जो शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शैक्षिक योग्यता और अन्य पात्रता मानदंड निर्धारित करने और तय करने वाली प्राथमिक शासी निकाय है।

जिन याचिकाकर्ताओं ने भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया था, उन्होंने अपनी शिकायत को उजागर करते हुए संबंधित अधिकारियों के समक्ष प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता दी है और यह भी उल्लेख किया है कि प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा बनाए गए 2019 के नियम एनसीटीई द्वारा जारी / बनाए गए नियमों / अधिसूचनाओं के विपरीत हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।संशोधित अधिसूचना के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कारण जिसके द्वारा विषय के मानदंड को हटा दिया गया है तथा किसी भी विषय के उम्मीदवार को किसी भी विषय के शिक्षक के पद हेतु नियुक्त किया जा सकता है तथा कला स्नातक उम्मीदवार गणित तथा विज्ञान शिक्षक हेतु आवेदन कर सकते हैं, गणित स्नातक आवेदन कर सकते हैं या संस्कृत शिक्षक, संस्कृत स्नातक गणित या विज्ञान शिक्षक हेतु आवेदन कर सकते हैं।इस संशोधन को देखते हुए शिक्षा की गुणवत्ता गंभीर रूप से प्रभावित होगी क्योंकि अब विषय के मानदंड को हटा दिया गया है तथा विषय विशेषज्ञ का चयन नहीं किया जाएगा तथा छठी से आठवीं कक्षा के छात्रों को उन शिक्षकों से प्रभावी तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना संभव नहीं होगा जो वास्तव में माध्यमिक विद्यालय के छात्रों को गणित, विज्ञान, अंग्रेजी या हिंदी जैसे विषय पढ़ाने के योग्य नहीं हैं।याचिकाकर्ता अंग्रेजी विषय में स्नातक हैं तथा 2019 के नियम में विवादित संशोधन के कारण उत्तरदाताओं द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवार भी हैं, जिसमें विषयवार चयन की मजबूरी को हटा दिया गया है, जिसका अर्थ है कि यदि याचिकाकर्ताओं का चयन शिक्षक के पद पर किया जाता है, तो यह आवश्यक नहीं है कि वे अंग्रेजी विषय पढ़ा रहे होंगे, बल्कि वे अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय को पढ़ा रहे होंगे।उपरोक्त विवादित संशोधन के कारण, उन्हें अपने स्नातक विषय में चयन करने का उचित मौका नहीं मिलेगा तथा उनका चयन किसी अन्य विषय में किया जा सकता है तथा ऐसी स्थिति में, स्नातक विषय अर्थात अंग्रेजी पढ़ाने की उनकी दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में कमी आएगी।विशेष रूप से एक छात्र के कैरियर के प्रारंभिक वर्षों में।नियमों में संशोधन करने के उद्देश्य के साथ कुछ सांठगांठ होनी चाहिए, लेकिन यहां ऐसा प्रतीत नहीं होता है और बिना किसी आधार के ऐसा संशोधन लाया गया है और यह भी स्पष्ट नहीं है कि इस तरह के संशोधन लाने का उद्देश्य क्या है।उत्तरवादी वास्तव में एक छात्र के प्रारंभिक वर्षों के साथ खेल रहे हैं तथा उनकी नींव को कमजोर बना रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने अपनी शिकायतें मुख्य रूप से इस आधार पर उठाई हैं कि प्रतिवादी प्राधिकरण ने इन शब्दों को हटा दिया है अर्थात "प्रत्यक्ष भर्ती विषयवार होगी तथा" यह पदोन्नति/प्रत्यक्ष "शब्द।भर्ती व्यवस्था में अनुमोदित विषयवार पदों पर होगी, जो दिनांकित राजपत्र अधिसूचना 23.08.2010 के साथ–साथ दिनांकित राजपत्र अधिसूचना 29.07.2011 (डब्ल्यू. पी. एस. सं. 5162/2023 के लिए अनुलग्नक पी/7) के विपरीत है।

15. सुश्री अली ने आगे कहा कि इससे पहले, निदेशक, लोक शिक्षण निदेशालय ने 09.03.2019 को एक विज्ञापन जारी किया था (अनुलग्नक पी/8) जिसमें प्रतिवादी प्राधिकारी ने न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की थी जो शिक्षक की नियुक्ति के लिए स्नातक के साथ बीएड और डीएड और अनुसूची ॥ के अनुसार शिक्षक के पद को विषयवार भरा जाना था।लेकिन सहायक शिक्षक तथा शिक्षक की नियुक्ति हेतु वर्तमान विज्ञापन को विषयवार चयन के मानदंडों को समाप्त कर दिया गया है।राजपत्र अधिसूचना दिनांक 04.05.2023 के माध्यम से संशोधन पश्चात् जिला शिक्षा अधिकारी, बलौदा–बाजार ने स्वामी आत्मानंद स्कूल में व्याख्याता, शिक्षक तथा सहायक शिक्षक की नियुक्ति हेतु 09.05.2023 पर एक विज्ञापन जारी किया है, जिसमें न्यूनतम शिक्षा योग्यता निर्धारित की गई है तथा इसे विषयवार भरा जाना था।इसके अलावा, एकलव्य आदर्श विद्यालय ने अतिथि शिक्षक की नियुक्ति हेतु एक विज्ञापन जारी किया है जिसमें उसे

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विषयवार भरा जाना है।इसके अलावा, संयुक्त निदेशक शिक्षा, दुर्ग प्रभाग ने 12.05.2023 पर पदोन्नति आदेश जारी किया है जिसमें सहायक शिक्षक (एलबी) ई–कैडर को शिक्षक (ई–कैडर) सामाजिक विज्ञान तथा जीव विज्ञान के पद पर पदोन्नत किया गया है।इस संबंध में यह प्रस्तुत किया जाता है कि नियम 2019 में संशोधन के पश्चात् शिक्षक पद हेतु विषय के आधार पर पदोन्नति की गई है।2009 के अधिनियम की अनुसूची के अनुसार,जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि कक्षा 6 वीं से 8 वीं तक के लिए शिक्षक की नियुक्ति के लिए मानदंड और मानक यानी (1) प्रति कक्षा कम से कम एक शिक्षक, ताकि प्रत्येक कक्षा के लिए कम से कम एक शिक्षक हो : –

(i) विज्ञान और गणित, (ii) सामाजिक अध्ययन, और (iii) भाषाएँ।

16. प्रत्यर्थी अधिकारियों द्वारा लाई गई आक्षेपित अधिसूचनाएं नियमों का पूरी तरह से उल्लंघन करती हैं तथा जो संशोधन लाया गया है, वह इस सिद्धांत से संबंधित माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि का घोर उल्लंघन है कि खेल प्रारम्भ होने के बाद खेल के नियमों को नहीं बदला जा सकता है।याचिकाकर्ता इस माननीय न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी अधिकारियों की ओर से मनमाने तथा अवैध कार्यवाही का आरोप लगा रहे हैं, जिसने भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 16 के तहत निर्धारित उनके संवैधानिक अधिकारों को लगभग छीन लिया है।एनसीटीई द्वारा जारी दिनांक 23.08.2010 की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, नियम 2019 दिनांक 11/07/2023 में किया गया संशोधन नियम, 2010 और 2009 के अधिनियम का पूर्ण उल्लंघन है जो विभिन्न स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शैक्षिक योग्यता और अन्य पात्रता मानदंड निर्धारित करने और तय करने वाली प्राथमिक शासी निकाय है, शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए एनसीटीई द्वारा निर्धारित योग्यता टीईटी, बी.एड जैसी अन्य योग्यताओं के साथ–साथ संबंधित विषय में स्नातक की डिग्री होनी आवश्यक है। शिक्षक के लिए नियम में बदलाव, जिसमें प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा विषय–वार मानदंड को छोड़ दिया गया है, केंद्र सरकार के नियम, 2009 और नियम, 2010 का पूरी तरह से उल्लंघन है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि विषयवार शिक्षक के पद को भरा जाना है।
मार्च, 2019 के माह में जारी किए गए पहले के विज्ञापन में, उम्मीदवारों को परिणाम के आने ने के के पश्चात् टी. ई. टी./सी. टी. ई. टी. परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु अयोग्य घोषित कर दिया गया था, लेकिन आक्षेपित संशोधन के माध्यम से पूरी चयन प्रक्रिया को बदल दिया गया है तथा अब उम्मीदवारों को विषयवार शिक्षक के पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा।दिनांक 11.07.2023 के आक्षेपित संशोधन द्वारा, चूंकि विषय–वार मानदंड को हटा दिया गया है, यह बिना किसी विषय मानदंड के शिक्षक के पद पर याचिकाकर्ताओं के अंतिम चयन पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।अब चयन विशुद्ध रूप से योग्यता सूची तथा याचिकाकर्ताओं तथा योग्यता सूची में से अन्य समान रूप से रखे गए उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त रैंक के आधार पर होगा।विषयवार भर्ती को समाप्त करने की मजबूरी के संबंध में नियम, 2019 के संशोधन के पीछे के उद्देश्य का उस उद्देश्य से कोई संबंध नहीं है जिसे प्राप्त किया जाना चाहिए।सरकार द्वारा संचालित तथा प्रबंधित विभिन्न विद्यालयों में शिक्षकों के चयन हेतु अलग–अलग मानदंड तय करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 16 का उल्लंघन है क्योंकि राज्य एक आदर्श नियोक्ता होने के नाते वर्तमान विज्ञापन के माध्यम से

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

तथा स्वामी आत्मानंद तथा एकलव्य विद्यालय में अनुबंध के आधार पर नियमित आधार पर एक शिक्षक की नियुक्ति हेतु दो अलग–अलग मानदंड नहीं हो सकते हैं, जैसा कि रिट याचिका के साथ संलग्न विज्ञापन के आधार पर किया गया है।एन. सी. टी. ई. द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों के साथ–साथ 2009 के अधिनियम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।केंद्र में एन. सी. टी. ई. नियम बनाने वाला प्राधिकरण तथा राज्य शिक्षक शिक्षा परिषद, जो राज्य में एन. सी. टी. ई. की सहायक है, माध्यमिक विद्यालय विषयवार में शिक्षकों की नियुक्ति के मानदंडों का पालन करने हेतु कर्तव्यबद्ध है।1976 में संविधान में 42 वें संशोधन के माध्यम से 'शिक्षा' को समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है जिसका अर्थ है कि संसद के साथ–साथ राज्य विधानसभाएं भी इस पर कानून बना सकती हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि राज्य शिक्षा की गुणवत्ता हेतु योग्यता तैयार करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों की अनदेखी कर सकता है। विषयवार स्नातक योग्यता के आधार पर शिक्षक की नियुक्ति हेतु पहले जो मानदंड निर्धारित किए गए थे, वे नियुक्ति के उद्देश्य को ही विफल कर देते हैं, जिससे सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में बाधा आती है, अर्थात उद्देश्य तथा सांठगांठ के बीच का तर्क विफल हो जाता है। इसलिए, मूल अधिनियम 2009 के साथ–साथ 2010,2011, जिसे 2019 में संशोधित किया गया था, के विपरीत दिनांकित 11.07.2023 के विवादित संशोधन को अधिकार से बाहर घोषित किया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. श्री श्रीवास्तव तथा सुश्री अली द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि केवल केंद्र सरकार के पास 2009 के अधिनियम की धारा 20 के तहत किसी भी मानदंड तथा मानकों को जोड़कर या उनमें से हटा कर अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति है।

18. सुश्री अली के मंजुश्री बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, {(2008) 3 एससीसी 512, पैराग्राफ 32, 33 और 36} और मोहम्मद सोहराब खान बनाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, {(2009) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों पर भरोसा करती हैं।) 4 एससीसी 555, पैराग्राफ 24, 25, 27, 28 और 29} यह मानते हुए कि जब खेल के नियम निर्धारित किए गए हैं और भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, तो उत्तरवादीगण को निर्धारित नियमों और प्रक्रिया से विचलित होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। डब्ल्यू. ए. सं.244/2022 तथा इसी तरह के अन्य मामलों में इस माननीय न्यायालय ने विशेष रूप से कहा है कि एक बार चयन प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाने के बाद भर्ती के नियमों तथा तरीकों में बदलाव नहीं किया जा सकता है।

19. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि प्रतिवादी की कार्यवाही असंवैधानिक, भेदभावपूर्ण तथा विधि की नजर में मान्य नहीं है।पदोन्नति हेतु विषयवार मानदंड नहीं हटाए गए हैं तथा यह केवल सीधी भर्ती हेतु है।संशोधित अधिसूचना के कारण जिसके द्वारा विषय की सीमा को हटा दिया गया है तथा किसी भी विषय के उम्मीदवार को किसी भी विषय के उच्च श्रेणी के शिक्षक के पद हेतु नियुक्त किया जा सकता है तथा कला स्नातक उम्मीदवार गणित तथा विज्ञान शिक्षक हेतु आवेदन कर सकता है, गणित स्नातक संस्कृत शिक्षक हेतु आवेदन कर सकता है, संस्कृत स्नातक गणित विज्ञान शिक्षक हेतु आवेदन कर सकता है तथा ऐसी स्थिति में छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित होगी।

20. वे आगे प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ताओं के चयन की संभावनाएं भी प्रभावित होने वाली हैं क्योंकि किसी भी स्ट्रीम के किसी भी स्नातक को किसी विशेष विषय में विशेषज्ञता के बिना शिक्षक के पद हेतु आवेदन करने की अनुमति है।इसके अलावा, लागू अधिसूचना और राज्य द्वारा लाए गए संशोधनों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ कोई उचित संबंध नहीं है।

21. दूसरी ओर, राज्य/प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान उप महाधिवक्ता श्री एच.एस.अहलूवालिया, डब्ल्यूपीएस संख्या 3179/2023 में दायर रिटर्न पर भरोसा करते हुए प्रस्तुत करते हैं उपरोक्त याचिकाएं याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर की गई हैं, जिसमें शिक्षकों के संबंध में अनुसूची II के कॉलम नंबर 8 क्रम संख्या 36 और अनुलग्नक के क्रम संख्या II (संबंध में) से विषय–वार मानदंड हटाने के संबंध में अधिसूचना दिनांक 04.05.2023 को अधिकारातीत घोषित करने की प्रार्थना की गई है,कि 2019 के नियमों के (विशेष विषय में स्नातक के बजाय केवल स्नातक का उल्लेख करने के संबंध में) और प्रतिवादी अधिकारियों को शिक्षक की नियुक्ति के लिए विषय–वार स्नातक के पूर्व प्रावधान को बहाल करने का निर्देश दिया जाए।यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं ने तत्काल याचिका दायर की है जिसमें कहा गया है कि वे अंग्रेजी साहित्य में स्नातक हैं तथा यू. डी. टी. की नियुक्ति 2019 के नियमों द्वारा शासित है तथा उक्त नियमों से जुड़ी अनुसूची II के अनुसार, यू. डी. टी. के पद पर नियुक्ति विषयवार स्नातक की योग्यता के साथ बी.एड/डी.एड के साथ भरी जानी है तथा स्नातक का विषय उक्त नियम, 2019 में संलग्न अनुलग्नक I में दिया गया है।याचिकाकर्ताओं के अनुसार, यूडीटी के पद पर नियुक्ति के क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले पहले के भर्ती नियमों अर्थात 2012 के नियमों में, शिक्षक (पंचायत) के पद पर नियुक्ति भी विषय–वार और 2013 के नियमों के अनुसार शिक्षक (नागरिक निकाय) पद पर नियुक्ति भी विषयवार की जानी थी। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ अराजपत्रित तृतीय श्रेणी शिक्षा सेवा (स्कूल स्तरीय सेवा) भर्ती एवं पदोन्नति नियम, 2008 के अनुसार भी, यूडीटी का पद विषयवार भरा जाना था, लेकिन, दिनांक 04.05.2023 को लागू अधिसूचना द्वारा, नियम, 2019 में संशोधन से, "सीधी भर्ती विषय–वार होगी" शब्द को अनुसूची II कॉलम सं 8 और अनुबंध I के क्रम संख्या 1 और 2 से हटा दिया गया है और उक्त संशोधन के कारण,किसी भी विषय के उम्मीदवार को किसी भी विषय के यूडीटी पद के लिए नियुक्त किया जा सकता है, अर्थात, एक कला स्नातक उम्मीदवार गणित और विज्ञान विषय के शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकता है ,इसी तरह गणित स्नातक संस्कृत विषय के शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकता है और संस्कृत स्नातक आवेदन कर सकता है।उम्मीदवार गणित तथा विज्ञान शिक्षक हेतु शिक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु भी आवेदन कर सकता है तथा इस तरह शिक्षा की गुणवत्ता प्रतिकूल तथा बुरी तरह से प्रभावित होगी तथा विषय विशेषज्ञ का चयन उस विशेष विषय में शिक्षा प्रदान करने हेतु नहीं किया जाएगा जिसमें आवेदक विशेषज्ञता रखता है।

22. श्री अहलूवालिया आगे व्यक्त करते है कि ये याचिकाएं योग्यता तथा सार से रहित हैं तथा तदनुसार सीमा पर खारिज किए जाने योग्य हैं क्योंकि याचिकाकर्ता यह स्थापित करने में विफल रहे हैं कि 2019 के नियमों में संशोधन को लागू करने में राज्य सरकार का निर्णय भारत के संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन है।अंग्रेजी साहित्य में स्नातक होने वाले

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ताओं को पहले ही अवसर प्रदान किया जा चुका है जिसके द्वारा उन्हें शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु भी विचार किया जाएगा।इस प्रकार, उनकी नियुक्ति पर विचार करने हेतु एक विशिष्ट प्रावधान प्रदान करके उनके मौलिक अधिकारों की पहले ही रक्षा की जा चुकी है।रिट याचिकाओं के केवल अवलोकन पर, ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता एक मामला बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि 2019 के नियमों से विषयवार नियुक्ति को हटाने वाले विवादित संशोधन के माध्यम से, शिक्षा की गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित होगी तथा विषय विशेषज्ञ का चयन उस विषय हेतु नहीं किया जाएगा जिसमें उनके पास विशेषज्ञता है तथा उन्हें स्नातक के अपने विषय में चयन करने का उचित मौका नहीं मिलेगा।यह सुस्थपित है कि यदि कोई नियम जो किसी व्यक्ति के नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के अधिकार को प्रभावित करता है, जो सेवा की शर्त है, तो वह इसे चुनौती दे सकता है, लेकिन वह इस आधार पर वैधानिक नियमों को चुनौती नहीं दे सकता है कि केवल नियुक्ति की संभावना प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रही है क्योंकि नियुक्ति की संभावना सेवा की शर्तें नहीं हैं तथा सेवा की शर्त को बदलने के समान नहीं है।राज्य सरकार ने अपने विवेक से और शिक्षकों के पद पर भर्ती करने में उनके पिछले अनुभव के आधार पर, सहायक शिक्षक और शिक्षक के पद पर विषयवार चयन को हटाने का नीतिगत निर्णय लिया है।जहाँ तक सहायक शिक्षक तथा शिक्षक के पद पर नियुक्ति का संबंध है, इस संबंध में यह प्रस्तुत किया जाता है कि सहायक शिक्षक का मूल कार्य कक्षा 1 से कक्षा 5 तक पढ़ाना तथा शिक्षक का कक्षा 6 से कक्षा 8 तक पढ़ाना है।किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री रखने वाला व्यक्ति अनिवार्य रूप से 10 वीं कक्षा तक हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान तथा संस्कृत जैसे सभी सामान्य विषयों का अध्ययन करता है तथा इस तरह, उनकी क्षमता तथा ज्ञान के अनुसार, वह व्यक्ति आसानी से तथा सुचारू रूप से कक्षा 8 वीं तक के छात्रों को पढ़ा सकता है।शिक्षक के पद पर विषयवार चयन को हटाने हेतु आक्षेपित अधिसूचना जारी करने के पीछे का कारण यह भी है कि इससे पहले राज्य सरकार ने सहायक के 14,580 पदों को भरने हेतु विज्ञापन जारी किया था।छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों के विभिन्न विषयों में किए जाने वाले शिक्षकों, शिक्षकों तथा व्याख्याताओं के कुल विज्ञापित पदों में से अब तक 10834 पद भरे जा चुके हैं तथा शेष पद जिनमें कोई नियुक्ति नहीं की गई है, वे 3746 हैं।यह उचित है कि उक्त शेष पदों में नियुक्ति मुख्य रूप से इस कारण से नहीं की जा सकी कि हालांकि शिक्षक के पद का विज्ञापन किया गया था, जहां नियम, 2019 के अनुसार नियुक्ति विषयवार की जानी है, लेकिन जिन उम्मीदवारों के पास विशेष विषय में स्नातक की डिग्री है, जिसके पद का विज्ञापन किया गया है, वे नहीं पाए गए।उदाहरण हेतु, पहले के विज्ञापन में, अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की न्यूनतम योग्यता निर्धारित करते हुए अंग्रेजी विषय में शिक्षक के कुल 2000 पदों का विज्ञापन किया गया था, जिनमें से शिक्षक (अंग्रेजी) के 1138 पदों हेतु अंग्रेजी साहित्य में स्नातक करने वाले योग्य उम्मीदवारों की कमी के कारण भरा नहीं जा सका था।इसी तरह गणित विषय तथा जीव विज्ञान विषय में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु भी यही स्थिति थी।यह प्रस्तुत किया गया है कि जिस विशेष विषय के लिए पद विज्ञापित किया गया है, उसमें स्नातक की डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण उक्त पद को न भरना, इससे ऐसे विद्यालयों में शिक्षक उपलब्ध कराने का राज्य सरकार का उद्देश्य और प्रयास विफल हो जाएगा, जहां शिक्षकों की संख्या या तो शून्य है या एक है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. छत्तीसगढ़ राज्य के 10 जिलों में आने वाले स्कूलों का डेटा, जहां सभी प्रयासों के बावजूद, उन स्कूलों में नियुक्ति नहीं की जा सकी, जहां शिक्षकों की संख्या या तो शून्य है या एक है, रिटर्न के पैराग्राफ 9 में प्रदान किया गया है।विषयवार चयन को हटाने के पीछे एक कारण यह भी है कि विज्ञान तथा गणित विषयों में स्नातक की डिग्री रखने वाले छात्रों की तुलना में छत्तीसगढ़ राज्य में विज्ञान तथा गणित विषयों के अलावा स्नातक की डिग्री रखने वाले छात्रों की बड़ी संख्या है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि विद्यालय में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए, शिक्षक के पद पर विषयवार चयन/नियुक्ति को हटाने का उक्त निर्णय राज्य सरकार द्वारा परोपकारी तथा कल्याणकारी राज्य होने के नाते जानबूझकर लिया गया है, जिसे किसी भी तरह से मनमाना तथा दृढ़ नहीं कहा जा सकता है।इसके अलावा, एससीईआरटी के मानदंडों के अनुसार, छात्रों को पढ़ाने का कौशल विकसित करने हेतु समय-समय पर शिक्षकों हेतु प्रशिक्षण अभिविन्यास कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है तथा उक्त प्रशिक्षण अभिविन्यास कार्यक्रम के माध्यम से, कला विषय में स्नातक की डिग्री रखने वाला व्यक्ति आसानी से 8 वीं कक्षा तक के छात्रों को पढ़ा सकता है तथा शिक्षा प्रदान कर सकता है।इस प्रकार, राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों के कौशल विकास हेतु एक तंत्र भी विकसित किया गया है।उपरोक्त परिस्थितियों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि कथित संशोधन के कारण शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।वर्तमान याचिकाएं याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर की गई हैं जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य द्वारा बनाए गए 2019 के नियमों में संशोधन को चुनौती देती हैं।वर्तमान याचिका में विधायी क्षमता या किसी भी अधिकार क्षेत्र की चुनौती के संबंध में कोई विवाद नहीं है याचिकाकर्ता के तर्क का मूल इस तथ्य के इर्द-गिर्द घूमता है कि वे पहले बनाए गए नियमों की तुलना में 2019 के नियमों के संबंध में नुकसानदेह स्थिति में हैं।आक्षेपित अधिसूचनाओं को जारी करने में उत्तरदाताओं की ओर से कोई अवैधता या विकृति नहीं है और इसके पीछे मुख्य कारण उन स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा करना है जहां शिक्षकों की संख्या या तो शून्य है या एक है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता आक्षेपित अधिसूचना/संशोधन को भारत के संविधान के क्षेत्राधिकार से बाहर घोषित करने के लिए कोई मामला बनाने में विफल रहे हैं।इस प्रकार, वर्तमान याचिका योग्यता तथा सार से रहित है तथा तदनुसार सीमा पर खारिज होने के लिए उत्तरदायी है।

24. विधि की यह सुस्थापित स्थिति है कि किसी वैधानिक नियम/विधान को केवल विधि के तहत स्वीकार्य सीमित आधारों पर ही चुनौती दी जा सकती है।किसी भी अधिनियम की संवैधानिकता के पक्ष में हमेशा एक धारणा होती है।विधायी अधिनियमन की कोई भी घोषणा केवल अन्यायपूर्ण और कठोर प्रावधानों के कारण या नागरिक के किसी अधिकार का उल्लंघन होने की आशंका के आधार पर असंवैधानिक और शून्य नहीं की जानी चाहिए जब तक, यह नहीं दिखाया जा सके कि ऐसा प्रावधान वास्तव में संविधान द्वारा गारंटीकृत या संरक्षित अधिकारों को प्रतिबंधित करता है।धारणा हमेशा कानून की संवैधानिकता के पक्ष में होती है और उस पर हमला करने वाले पर यह दिखाने का बोझ होता है कि यह अमान्य है और यह विशेष रूप से स्थापित

किया जाना चाहिए कि जिस नियम को चुनौती दी गई है वह इस प्रकार का है कि कोई भी प्रज्ञावान व्यक्ति अत्यधिक मनमानी या अनुचित होने की वैधता को स्वीकार नहीं कर सकता है। याचिकाकर्ता इस तरह का कोई आधार लेने में विफल रहे हैं इसलिए वर्तमान रिट याचिकाएं खारिज की जा सकती हैं।

25. अपने तर्कों के समर्थन में, श्री अहलूवालिया बाल्को कर्मचारी संघ (पंजीकृत) बनाम भारत संघ {(2002) 2 एससीसी 333}, टीएन राज्य बनाम पी कृष्णमूर्ति {(2006)) 4 एससीसी 517}, एमपी राज्य बनाम राकेश कोहली, {(2012) 6 एससीसी 312}, गुजरात राज्य बनाम अरविंदकुमार टी तिवारी {(2012) 9 एससीसी 545}, और सुशीला राजवाड़े और अन्य बनाम में इस न्यायालय का एक निर्णय छत्तीसगढ़ राज्य, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग और अन्य {2021 एससीसी ऑनलाइन छः 3728} के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हैं। श्री अहलूवालिया ने आगे कहा कि एयर कमोडोर नवीन जैन बनाम भारत संघ अन्य {(2019) 10 एससीसी 34} के मामले में शिक्षक के पद पर विषयवार चयन/नियुक्ति को हटाने का निर्णय पूरी तरह से राज्य सरकार और सर्वोच्च न्यायालय का नीतिगत निर्णय है, ऐसे ही विभिन्न न्यायिक उदाहरणों पर भरोसा करते हुए इस दृष्टिकोण की पुष्टि की है कि नियुक्ति की संभावनाओं को प्रभावित करने वाली राज्य की नीति को अवैध, मनमाना और भेदभावपूर्ण नहीं कहा जा सकता है, जिससे संविधान के अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 16 का उल्लंघन किया जा सके।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26. हमने पक्षकारों की ओर से विद्वान अधिवक्ता को सुना है, जिसमें संलग्न अभिवचनों तथा दस्तावेजों हेतु अध्ययन किया गया है।

27. मूल रूप से, ये सभी याचिकाएं दिनांकित 04.05.2023 तथा 11.05.2023 अधिसूचनाओं को चुनौती देती हैं।वे निम्नानुसार हैं

"अटल नगर, 4 मई 2023

अधिसूचनास़. एफ 12–17/2018 2002।भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक और प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती और पदोन्नति नियम, 2019 में निम्नलिखित संशोधन किया है, अर्थात्ः–––

संशोधन

उक्त नियमों में –

1. अनुसूची–II के क्रम संख्या 36 के कॉलम (8) में, 'प्रत्यक्ष भर्ती' शब्द विषयवार होंगे।"

2. अनुलग्नक–I की क्रम संख्या (i) तथा (ii) के लिए, निम्नलिखित क्रम संख्या हेतु प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः–––

"((i) सहायक शिक्षकः–––

(1) कम से कम 45 प्रतिशत के साथ वरिष्ठ माध्यमिक तथा

(2) डी. एड या बी. एड या बी.इ एल.इ डी. उत्तीर्ण हो ।तथा

(3) टी. ई. टी. (प्राथमिक स्तर) उत्तीर्ण हो (ii) शिक्षकः---

(1) न्यूनतम 45 प्रतिशत के साथ स्नातक

तथा

(2) डी. एड या बी. एड या बी.इ एल.इ डी. उत्तीर्ण हो ।

तथा

(3) टी. ई. टी. (उच्च प्राथमिक स्तर) उत्तीर्ण हो, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के आदेशानुसार एवं नाम से, पुलक भट्टाचार्य, अवर सचिव"

"अटल नगर, 11 जुलाई 2023

अधिसूचनासं. एफ 12–17/2018 2002।भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक और प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती और पदोन्नति नियम, 2019 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:---

<u>संशोधन</u>

उक्त नियमों में –अनुसूची–II के क्रम संख्या 33 के कॉलम (8) में, शब्द तथा प्रतीक "यह पदोन्नति/प्रत्यक्ष भर्ती व्यवस्था में अनुमोदित विषयवार पदों पर होगी।इसे विलोपित कर दिया जाएगा, आदेश द्वारा तथा छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम पर, पुलक भट्टाचार्य, अवर सचिव

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"28. मामले का सार यह है कि इन संशोधनों के बाद, स्नातक डिग्री वाला कोई भी उम्मीदवार शिक्षक के पद के लिए आवेदन कर सकता है, जिसका अर्थ है कि विज्ञान स्नातक को हिंदी विषय पढ़ाने के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है और कला स्नातक उम्मीदवार को विज्ञान पढ़ाने के लिए नियुक्त किया जा सकता है।याचिकाकर्ताओं का मुख्य तर्क यह है कि संशोधन को देखते हुए शिक्षा की गुणवत्ता गंभीर रूप से प्रभावित होगी क्योंकि विषय के मानदंड को हटा दिया गया है तथा विषय विशेषज्ञ का चयन नहीं किया जाएगा तथा माध्यमिक विद्यालय के छात्रों को गणित, विज्ञान, अंग्रेजी या हिंदी जैसे विषय पढ़ाने के लिए वास्तव में योग्य नहीं होने वाले शिक्षक से छठी से आठवीं कक्षा के छात्रों को प्रभावी तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना संभव नहीं होगा।याचिकाकर्ताओं का आगे यह तर्क है कि उनके चयन की संभावनाएं भी प्रभावित होने वाली हैं क्योंकि किसी भी स्ट्रीम के किसी भी स्नातक को किसी विशेष विषय में विशेषज्ञता के बिना शिक्षक के पद हेतु आवेदन करने की अनुमति है तथा यह कि आक्षेपित अधिसूचना तथा राज्य द्वारा लाए गए संशोधनों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ कोई उचित संबंध नहीं है।

29. जैसा कि राज्य के विद्वान अधिवक्ता व्यक्त करते है कि है, किसी भी अधिनियम की संवैधानिकता के पक्ष में हमेशा एक धारणा होती है और विधायी अधिनियम की कोई भी घोषणा केवल अन्यायपूर्ण और कठोर प्रावधानों के कारण असंवैधानिक और शून्य नहीं की जा सकती है या क्योंकि इससे नागरिक के कुछ अधिकारों का उल्लंघन होने की आशंका है, जब तक कि यह नहीं दिखाया जा सके कि ऐसा प्रावधान वास्तव में संविधान द्वारा गारंटीकृत या संरक्षित अधिकारों

को प्रतिबंधित करता है।धारणा हमेशा विधियो की संवैधानिकता के पक्ष में होती है और उस पर हमला करने वाले व्यक्ति पर यह दिखाने का भार होता है कि यह अमान्य है और यह विशेष रूप से स्थापित किया जाना चाहिए कि चुनौती के तहत नियम इस तरह का है कि कोई भी प्रज्ञावान व्यक्ति अत्यधिक मनमानी या अनुचित होने की वैधता को स्वीकार नहीं कर सकता है।इसके अलावा, आक्षेपित संशोधन द्वारा, शैक्षिक योग्यता को कम या गिराया नहीं जा सकता है जो उस उम्मीदवार की शिक्षण क्षमता को प्रभावित कर सकता है जिसे माध्यमिक विद्यालय के छात्रों को पढ़ाना है।

30. बाल्को कर्मचारी संघ (पंजीकृत) (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय ने पहले दिए गए विभिन्न निर्णयों पर ध्यान देने के पश्चात अर्थात रुस्तम कैवसजी कूपर बनाम भारत संघ {(1970) 1 एससीसी 248}, एमपी राज्य बनाम नंदलाल जयसवाल { (1986) 4 एससीसी 566}, जीबीमहाजन बनाम जलगांव नगर परिषद {(1991) 3 एससीसी 91}, पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड बनाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया {(1992) 2 एससीसी 343}, आरके गर्ग बनाम यूनियन ऑफ इंडिया {(1996) 2 एससीसी 405}, एमपी ऑयल एक्सट्रैक्शन बनाम स्टेट ऑफ एमपी {(1997) 7 एससीसी 592}, भावेश डी पैरिश बनाम यूनियन ऑफ इंडिया {(2000) 5 एससीसी 471}, और नर्मदा बचाओ आंदोलन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया {(2000)) 10 एससीसी 664}, **निम्नानुसार कहा गया:----**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"46. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि यह न तो न्यायालयो के अधिकार क्षेत्र में है और न ही न्यायिक पुनर्विलोकन के दायरे में इस बात की जांच प्रारम्भ करना है कि क्या कोई विशेष सार्वजनिक नीति बुद्धिमानी है या क्या बेहतर सार्वजनिक नीति विकसित की जा सकती है।न ही हमारी न्यायालय किसी याचिकाकर्ता के आदेश पर किसी नीति को केवल इसलिए रद्द करने के लिए इच्छुक हैं क्योंकि यह आग्रह किया गया है कि एक अलग नीति अधिक निष्पक्ष या समझदार या अधिक वैज्ञानिक या अधिक तार्किक होती है।"

31. पी. कृष्णमूर्ति (सुप्रा) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार कहा:

"15. किसी अधीनस्थ विधान की संवैधानिकता या वैधता के पक्ष में एक धारणा है और यह भार उस पर है जो यह दिखाने के लिए उस पर हमला करता है कि यह अमान्य है।यह भी सर्वमान्य है कि किसी अधीनस्थ कानून को निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर चुनौती दी जा सकती है :

क) अधीनस्थ विधान बनाने के लिए विधायी क्षमता का अभाव।

ख) भारत के संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन।

ग) भारत के संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन।

घ) उस विधि के अनुरूप होने में विफलता जिसके तहत इसे बनाया गया है या सक्षम अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकार की सीमा से अधिक है।

ई) देश के विधियो, अर्थात किसी भी अधिनियम के प्रति प्रतिकूलता।च) मनमानी/अनुचितता प्रकट करना (उस सीमा तक जहां न्यायालय यह कह सकती है कि विधायिका ने ऐसे नियम बनाने का अधिकार देने का कभी आशय नहीं किया था)।"

32. अरविंदकुमार टी तिवारी (सुप्रा) में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार कहा:

"12. किसी विशेष पद हेतु या किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु भी पात्रता तय करना विधायिका/कार्यपालिका के अनन्य क्षेत्र के भीतर आता है तथा न्यायिक समीक्षा का विषय नहीं हो सकता है, जब तक कि यह मनमाना, अनुचित या सेवा की प्रकृति को ध्यान में रखे बिना तय नहीं किया गया हो, जिसहेतु नियुक्तियां की जानी हैं, या कानून द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों के साथ इसका कोई तर्कसंगत संबंध नहीं है।इस तरह की पात्रता को पदोन्नति के उद्देश्य से भी एकतरफा रूप से बदला जा सकता है तथा इस तरह की पदोन्नति चाहने वाला व्यक्ति यह शिकायत नहीं उठा सकता है कि जब वह सेवा में शामिल होता है तो उसे केवल मौजूदा नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए।नियुक्तियों के मामले में, जहां तक प्रक्रियात्मक पहलुओं का संबंध है, संबंधित प्राधिकरण के पास निरंकुश शक्तियां हैं, लेकिन उसे पात्रता आदि की आवश्यकता को पूरा करना चाहिए।इसलिए, न्यायालय को तब तक हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए, जब तक कि इस प्रकार की गई नियुक्तियाँ, या किसी उम्मीदवार की अस्वीकृति "निष्पक्ष व्यवहार', ', 'उचित चेतना' और 'समानता' की कीमत पर नहीं की गई हो।(देखे––जम्मू तथा कश्मीर राज्य बनाम शिवराम शर्मा ((1999) 3 एस. सी. सी. 653) तथा प्रवीण सिंह बनाम पंजाब राज्य, ((2000) 8 एस. सी. सी. 633)।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

33. याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया है कि यदि चुनौती के तहत संशोधनों को जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो उनके चयन की संभावना कम हो जाएगी।राज्य की ओर से दाखिल विवरणिका के अनुसार, कई विद्यालय ऐसे हैं जहां शिक्षकों की संख्या नगण्य है।रिक्त पदों को भरने के लिए राज्य में निश्चित रूप से कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है।अन्यथा भी, याचिकाकर्ता यह प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं हुए हैं कि कैसे आक्षेपित संशोधन अधिनियम/नियमों या संविधान के किसी भी प्रावधान के विपरीत हैं ताकि इसे असंवैधानिक ठहराया जा सके।

34. ऊपर निर्दिष्ट मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुपात को लागू करते हुए, हमारी यह सुविचारित राय है कि इन याचिकाओं में योग्यता का आभाव है तथा वे खारिज होने के योग्य हैं तथा तदनुसार खारिज कर दिए जाते हैं।

सही/–
(एन.के.चंद्रवंशी)
न्यायाधीश

सही/–
(रमेश सिन्हा)
मुख्य न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur